उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-1
संख्या-65/2016/2363/37-1-2016-9(51)/2016
लखनऊः दिनांक 18 नवम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

डा0 जे0पी0 वर्मा, उप निदेशक, थनैला-2, पशुपालन निदेशालय को शासन के कार्यालय आदेश दिनांक 01-8-2016 द्वारा स्थानान्तरित करते हुये उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, तिलोई, अमेठी में तैनात किया गया है। उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध उनके द्वारा रिट याचिका संख्या 19479/2016 मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच में योजित की गयी है, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20-8-2016 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं-

"The petitioner alleges that he is office bearer and President of the Association but the aforesaid aspect has not been considered at the time of transferring him from Lucknow to Amethi. Learned counsel for the petitioner therefore, parys that the authority concerned may be directed to decide the representation to be preferred within three days.

Accordingly, the writ petition is disposed of with the direction to the petitioner to move representation within a period of three day's to the authority concerned who shall consider and dispose of the representation of the petitioner, in accordance with law within a period of two weeks thereafter.

Till then, the impugned orders shall be kept in abeyance."

2- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में डा0 जे0पी0 वर्मा द्वारा अपना प्रत्यावेदन दिनांक 23-8-2016 प्रस्तुत किया गया है। अपने प्रत्यावेदन में डा0 वर्मा द्वारा निवेदन किया गया है कि उ0प्र0सेवा संघों के मान्यता नियम-1979 के नियम-4 सपठित परिशिष्ट-4 के क्लाज 8 में निहित प्राविधानों के अनुसार उ0प्र0 पशु चिकित्सा संघ के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। अतः कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01-8-2016 के द्वारा उनका स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर-1 (ग) के अनुकूल प्रतीत नहीं होता है। उनका स्थानान्तरण निरस्त न किये जाने की स्थिति में संघ के आगामी चुनाव के प्रभावित होने की आशंका है। वर्ष 2009 से वह गुर्दा व हृदय रोग से पीडित हैं तथा उसी समय से उनका इलाज एसजीपीजीआई में चल रहा है और समय-समय पर चिकित्सा के संबंध में उन्हें जाना पडता है। अपने प्रत्यावेदन में यह भी उल्लेख किया है कि डा0 भवानी बख्श सिंह, जिनका स्थानान्तरण शासनादेश दिनांक 30-6-2016 द्वारा उप निदेशक, थनैला रोग, मुख्यालय के पद पर किया गया है, पूर्व में भी दिनांक 01-4-1995 से दिनांक 30-6-2005, 01-9-2009 से 31-3-2013, 01-4-2013 से 20-2-2015 तक लगभग 16 वर्ष तक लखनऊ में पदस्थापित रह चुके हैं, अतः पुनः उनका स्थानान्तरण लखनऊ जनपद में किया जाना स्थानान्तरण नीति के विपरीत है। डा0 वर्मा द्वारा आदेश दिनांक 01-8-2016 एवं 30-6-2016 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर- 13 में प्राविधान है कि सेवा संघों के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा संगठन के पद धारित करने की तिथि से 02 वर्ष तक स्थानान्तरण न किया जाय। यदि स्थानान्तरण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

किया जाना अपरिहार्य हो तो स्थानान्तरण हेतु प्राधिकृत अधिकारियों से 01 स्तर ऊपर अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय। डा0 जे0पी0वर्मा दिनांक 27/28जनवरी, 2014 को हुये निर्वाचन में पशु चिकित्सा सेवा संघ के अध्यक्ष घोषित हुये थे। स्थानान्तरण नीति के अनुसार पशु चिकित्सा सेवा संघ के अध्यक्ष के रूप में उनकी अवधि 02 वर्ष जनवरी, 2016 में पूर्ण हो चुकी है। यह भी उल्लेखनीय है कि पशु चिकित्सा संघ के दिनांक 28-9-2016 को सम्पन्न हुये चुनाव में डा0 वर्मा पुनः अध्यक्ष नहीं चुने गये हैं। अतः डा0 वर्मा का यह कहना कि उनका स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति के अनुकूल नहीं है, उचित नहीं है।

अतः उक्त वर्णित स्थिति में डा0 जे0पी0वर्मा के प्रत्यावेदन दिनांक 23-8-2016 में किये गये अनुरोध को बलहीन एवं आधारहीन होने के कारण अस्वीकृत करते हुये एतदद्वारा निस्तारित किया जाता है।

डा0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख् सचिव

संख्या-65/2016/2363(1)/37-1-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक प्रशासन एवं विकास पशुपालन निदेशालय लखनऊ।
2- संयुक्त निदेशक (प्रशासन) पशुपालन निदेशालय लखनऊ ।
3- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक प्रशासन एवं विकास।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राहुल सिंह
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।